न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या 22/2010 | तारीख दायरा 30/04/2010 | तारीख फैसला 19-01-2026

साहबलाल दत्तक पुत्र श्री गोपाल जाति बैरवा निवासी गणेशगंज तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०

प्रार्थी

बनाम

1. कमला पुत्री श्री गोपाल पत्नी श्री बिरधीलाल जाति बैरवा निवासी गणेशागंज तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०
2. ग्यारसी पुत्री गोपाल पत्नी श्री नाथूलाल जाति बैरवा निवासी गणेशगंज तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०
3. गीता पत्नी श्री कान्हा जाति कोली निवासी नैनवा जिला बून्दी
4. छीता पुत्री श्री देवा जाति बैरवा निवासी गणेशगंज तहसील पीपल्दा
5. राजस्थान सरकार जये तहसीलदार साहब, पीपल्या जिला कोटा राज

अप्रार्थीगण

प्रार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री नन्दकिशोर पारेता एड0।
अप्रार्थीकम 1 व 2 की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री एस.टी.एच. आब्दी एड0।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम गोणदी पटवार क्षेत्र गणेशगंज तहसील पीपल्दा जिला कोटा में कृषि भूमि खसरा नम्बर 917 रकबा 0.35 हेक्टर, खसरा नम्बर 918 रकथा 0.43 हेक्टर, खसरा नम्बर 919 रकबा 0.29 है०, खसरा नम्बर 920 रकबा 0.14 हेक्टर, खसरा नम्बर 922 रकबा 0.42 है0, खसरा नम्बर 939 रकबा 0.35 हेक्टर, खसरा नम्बर 940 रकबा 0.34 है0, कुल किता 7 कुल रकबा 2.32 हेक्टर नहरी प्रथम भूमि स्थित थी, नकल जमाबन्दी संवत् 2054 से 57 के अनुसार उक्त भूमि के खातेदारान गोपाल, जगन्नाथ, पन्ना व गौरधन पिता नारायण, छीता पुत्री देवा जाति बैरवा निवासी गणेशगंज थे, तथा सबका हिस्सा बराबर बराबर था, तथा खातेदारान जगन्नाथ, पन्ना, गोरधन पिता नारायण व छीता पुत्री देवा द्वारा अपने 4/5 हिस्सा रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर देने के कारण नामान्तकरण सं. 97 दिनांक 31.7.98 से उपरोक्त खातेदारान के 4/5 हिस्से पर उनके स्थान पर श्रीमति गीता पत्नी कान्हा जाति कोली निवासी नेनवा जिला बून्दी का नाम दर्ज हुआ था, जिसका अंकन नकल जमाबन्दी गाँव गोणदी संवत् 2054 से 2057 में अंकित हो रहा है, उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि हीं उक्त वाद की विवादग्रस्त विषय वस्तु हैं, जिसे आगे की मदो में विवादित भूमि या विवादग्रस्त कृषि आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। उपरोक्त वर्णित राजस्व रेकार्ड के अंकनानुसार जमाबन्दी संवत् 2058 से 2061 में गीताबाई पत्नी कान्हा कौली निवासी नैनवा जिला बून्दी हिस्सा 4/5 तथा गोपाल पुत्र नारायण जाति बैरवा निवासी गणेशगंज का नाम दर्ज होना चाहिये था, किन्तु राजस्व विभाग ने लापरवाही पूर्वक कार्य करते हुये अवैध रूप से 1/5 हिस्से में त्रुटिपूर्ण अंकन करते हुये विक्रेता छीता पुत्री देवा जाति बैरवा निवासी गणेशगंज का नाम दर्ज कर दिया जब कि छीताबाई अपना हिस्सा विक्रय कर चुकी थी, किन्तु राजस्व विभाग ने त्रुटिपूर्ण तरीके से छीता का नाम पुनः दर्ज कर दिया, तथा गोपाल पुत्र नारायण का नाम अवैध रूप से खाते से हटा दिया, जिसका राजस्व विभाग का कोई अधिकार नहीं था, राजस्व विभाग द्वारा खातेदार गोपाल पुत्र नारायण का नाम बिना किसी अधिकारिता के हटाया हैं। सहखातेदार गोपाल पुत्र नारायण बैरवा निवासी गणेशगंज का स्वर्गवास सन् 1992 में हो चुका है, प्रार्थी मृतक खातेदार गोपाल का गोद पुत्र हैं, जो गोपाल जी के जीवनकाल से हीं उनकी चल अचल सम्पत्ति पर काबिज काश्त चला आ रहा हैं, मृतक गोपाल का अंतिम संस्कार, क्रियाकर्म आदि बतौर पुत्र प्रार्थी ने हीं संपन्न किये हैं, जाति समाज के रीति रिवाजो के

मुताबिक गोपाल से प्रार्थी को गोद लिया था, इस कारण गोपाल की मृत्यु के बाद गोपाल की पगडी भी प्रार्थी के बंधी है, तथा प्रार्थी बतौर पुत्र गोपाल के हिस्से की कृषि भूमि पर काबिज काश्त हैं, इस कारण प्रार्थी यह प्रार्थना–पत्र न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत कर रहा है। उक्त विवादित कृषि भूमि में प्रार्थी गोपाल का नाम जुडवाने तथा गोपाल के स्थान पर अपना स्वयं का तथा अप्रार्थी क्रम 1 व 2 का नाम जुडवाने का अधिकारी है, प्रार्थी को विवादित कृषि भूमि में मृतक गोपाल के हिस्से में अपना नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने का कानूनी अधिकार हैं। अप्रार्थिया क्रम 4 छीता पुत्र देवा अपना हिस्सा विक्रय कर चुकी हैं, किन्तु राजस्व विभाग की त्रुटि से उसका नाम राजस्व रेकार्ड में पुनः दर्ज हो चुका हैं, तथा इस अवैध इन्द्राज की आड में प्रार्थिया क्रम 4 विवादित कृषि भूमि वर्ष 1/5 हिस्से को खुदे खुर्द करने पर आमादा है हो रहीं हैं, इस कारण प्रार्थी अक्षार्थिया क्रम 4 के विरुद्ध तापैसला मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी हैं। प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया केस हैं, तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में हैं, क्योकि विवादित कृषि भूमि से गोपाल पुत्र नारायण का नाम अवैध रूप से त्रुटिपूर्ण तरीके से अंकन कर हटाया गया है, तथा मृतक गोपाल के 1/5 हिस्से पर प्रार्थी काबिज काश्त हैं, जब कि अप्रार्थिया क्रम 4 अपना हिस्सा विक्रय कर चुकी हैं, किन्तु राजस्व विभाग ने गलती से अप्रार्थिया क्रम 4 छीता का नाम राजस्व रेकाडे में दर्ज कर दिया है, तथा गलत अंकन की आड में प्रार्थिया क्रम 4 छीता विवादित भूमि के 1/5 हिस्से विक्रय या अन्य तरीके से खुर्द बुर्द करने में कामयाब हो गयी तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति मुद्रा में नहीं हो सकेगी, इस कारण प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थिया क्रम 4 के विरूद्ध ताफैसला मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्याय के उद्देश्यो की पूर्ति हेतु आवश्यक हैं। अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थी क्रम 4 व 5 के विरुद्ध ताफैसला मूल वाद निम्न आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाये कि वाके ग्राम गोणदी पटवार क्षेत्र गणेशगंज तहसील पीपल्दा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बरान 917, 918, 919, 920, 922, 939, 940 कुल किता 7 कुल रकबा 2.32 हैक्टर नहरी प्रथम की जमाबन्दी में दर्ज अप्रार्थिया क्रम 4 के 1/5 हिस्से को अप्रार्थिया किसी भी व्यक्ति, बैंक या संस्था के पक्ष में रहन, विक्रय, दान, वसीयत या अन्य तरीके हस्तान्तरित या भारग्रस्ति नहीं करे। राजस्व रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थी क्रम 5 विवादित भूमि से सम्बन्धित किसी भी दस्तावेज का पंजीयन व निष्पादन नहीं करे।

प्रार्थी की ओर प्रार्थना पत्र श्री नन्दकिशोर पारेता एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी कम 1 व 2 की ओर से एस0टी0एच0 आब्दी एड0 ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी कम 3 व 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी कम 1 व 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के पिता के संयुक्त खाते एंव कब्जे काश्त की कृषि आराजी ख.नं. 917 की रकबा 0.35 है. खसरा नं. 918 की रकबा 0.43 है., खसरा नं. 919 रकबा 0.29 है., ख.नं. 920 की 0.14 है., ख.नं. 927 की 0.42 है., ख.नं. 939 की 0.35 है., ख.नं. 940 की 0.34 है., कुल किता 7 कुल रकबा 2.32 है. वाके माल मौजा गोणदी स्थित थी जिसके खातेदार गोपाल, जगन्नाथ, पन्ना, व गोरधन पिता नारायण छीता पुत्री देवा जातियान बैरवा निवासीगण गणेशगंज थे जिसमें से प्रत्येक का हिस्सा बराबर था यानि प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा बनता था। जिसकी पुष्ठि नकल जमाबन्दी सम्वत् 2054 से 2057 से बखूबी होती है। जिसे आगे की मदों में विवादित आराजी कहां गया है। तत्कालीन खातेदार जगन्नाथ, पन्ना, गोरधन पिता नारायण व छीता पुत्री देवा ने अपना निहित हिस्सा यानि कुल 4/5 हिस्सा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रेता श्रीमती गीता बाई पत्नि कान्हा जाति कोली निवासी नैनवा जिला बून्दी के पक्ष में विक्रय कर दिया जिसका पुष्ठि नकल जमाबन्दी सम्वत् 2054 से 2057 के इन्तकाल नं. 97 दिनांक 31–7–1998 से बखूबी होती है। अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के पिता स्व. गोपाल जी ने अपना निहित हिस्सा 1/5 का कोई बेचान नही किया उनका हिस्सा बराबर रहना चाहिए था किन्तु राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने घोर लापरवाही

पूर्वक कृत्य करते हुए क्रेता श्रीमती गीताबाई पत्नि कान्हा का 4/5 हिस्सा दर्ज कर दिया किन्तु जहा अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के पिता गोपाल का 1/5 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था ऐसा न करके घोर लापरवाही पूर्वक कृत्य करते हुए भूमि को बेचान के बावजूद भी विक्रेता छीताबाई पुत्री देवा का 1/5 हिस्सा त्रुटिपूर्ण अंकन के जरिये दर्ज कर दिया जो कतई गलत व गैरकानूनी है तथा अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के पिता स्व. गोपाल जी का 1/5 हिस्सा व उनका नाम गैर कानूनी तरीके से राजस्व रिकॉर्ड से हटा दिया गया राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने अपने अधिकार सीमाओं से परे जाते हुए उक्त घोर लापरवाही पूर्व कृत्य को अन्जाम दिया है जो कतई गलत व गैर कानूनी है। इसलिए अप्रार्थी क्रम 1 व 2 अपने पिता के निहित हिस्से 1/5 की घोषणा करवाते हुए उसे प्राप्त करने की अधिकारी है। इसलिए अप्रार्थी क्रम 1 व 2 की जानिब से काउन्टर प्रार्थना पत्र खातेदारी घोषणा एवं अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु पेश है। अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के पिता गोपाल जी का स्वर्गवास सन् 1992 में हो चुका है। तथा उनके स्वर्गवास के बाद अप्रार्थी क्रम 1 व 2 ही उनकी एक मात्र सन्ताने होने के कारण अपने निहित हित 1/5 की घोषणा करवाते हुए प्राप्त करने की अधिकारी है। इसलिए काउन्टर क्लेम पेश है। प्रार्थी को कभी भी स्व. गोपाल जी ने गोद नही रखा और ना ही वो स्व. गोपाल का दत्तक पुत्र है। बल्कि आज तक उसके तमाम दस्तावेजों पर उसके पिता का नाम जगन्नाथ ही दर्ज है तथा दत्तक पुत्र घोषित करने का अधिकार रेवेन्यू कोर्ट को नहीं बल्कि सिविल कोर्ट को है। द्वारा प्रार्थी बिना दत्तक पुत्र की घोषणा सिविल कोर्ट से करवाये बिना प्रार्थना पत्र प्रार्थी चलने योग्य नहीं है तथा अप्रार्थी क्रम 1 व 2 का काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। अप्रार्थी क्रम 4 छीता उक्त त्रुटिपूर्ण अंकन का नाजायज फायदा उठाते हुए उक्त विवादित कृषि आराजी को अन्यत्र बेचान का हरचन्द उतारु है। तथा पूर्व दिनांक 10–5–2012 को अप्रार्थी क्रम 4 ने अन्यत्र बेचान की धमकी दी तथा अभी दिनांक 19–7–2012 को कब्जा करने की नाजायज धमकी दी है। जबकि अप्रार्थी क्रम 4 को अन्यत्र बेचान व कब्जा करने का कोई कानूनी अधिकार हासिल नहीं है। जबकि अप्रार्थी क्रम 1 व 2 को कानूनी हक हासिल है कि वो अपने सम्पत्तिक अधिकारों की रक्षा करें। तथा अप्रार्थी क्रम 4 अपनी उक्त धमकियों अन्यत्र बेचान व कब्जा करने की धमकियों को सरोकार करने को हरचन्द उतारु है। यदि अप्रार्थी क्रम 4 उक्त धमकियों को सरोकार करने में कामयाब हो जाती है तो अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के सम्पत्तिक अधिकारों का हनन होगा तथा अप्रार्थी क्रम 1 व 2 को अपूर्णीय क्षति होगी तथा व्यथ के वाद विवादों में उलझना पड़ेगा इसलिए अप्रार्थी क्रम 1 व 2 को ये कानूनी हक हासिल है कि वो अपने सम्पतिक अधिकारों की रक्षा करे इसलिए अप्रार्थी क्रम 1 व 2 माननीय न्यायालय से प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 4 के विरुद्ध खातेदारी घोषणा एवं अस्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री माननीय न्यायालय में प्राप्त करने की अधिकारी है। इसलिए काउन्टर कलेम पेश है। प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के पक्ष में है। क्योकि उक्त वादग्रस्त आराजी जो काउन्टर प्रार्थना पत्र में वर्णित है में अप्रार्थी क्रम 1 व 2 का उसके पिता स्वर्गीय गोपाल जी के मृत्यु के बाद हित बनता है। यह कि सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के पक्ष में है। अतः जवाब कम काउन्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आली जनाब से गुजारिश है कि न्यायहित में अप्रार्थी क्रम 1 व 2 का कउन्टर प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रार्थी एवं अप्रार्थी क्रम 4 स्वीकार फरमाते हुए प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 4 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि काउन्टर क्लेम के निराकरण होने तक अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के पिता के संयुक्त खाते एंव कब्जे काश्त की कृषि आराजी ख.नं. 917 की रकबा 0.35 है., खसरा नं. 918 की रकबा 0.43 है. खसरा नं. 919 रकबा 0.29 है.. ख.नं. 920 की 0.14 है.ख.नं. 927 की 0.42 है., ख.नं. 939 की 0.35 है. ख.नं. 940 की 0. 34 है.. कुल किता 7 कुल रकबा 2.32 है. वाके माल मौजा गोणदी में किसी किस्म की मदाखलत व मजाहमत व अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के कृषि कार्य में किसी किस्म कि बाधा व्यवधान ना तो स्वयं उत्पन्न करे और ना अपने प्रतिनिधियों से करवाये। और ना ही उक्त वादग्रस्त आराजी को किसी अन्य व्यक्ति संस्था, निगम निकाय को रहन बेचान हिबा, वसीयत ना तो स्वयं करें और ना ही अपने प्रतिनिधियों से करवाये अर्थात् राजस्व रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के न्दुओं को दोहराते हुए विवादित आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की मांग ी। अप्रार्थी 1 व 2 के अधिवक्ता ने प्रार्थी को दत्तक पुत्र गोपाल स्वीकार करते हुए वयं को गोपाल का वारिस बताया तथा विवादित भूमि पर प्रार्थी व अप्रार्थी 4 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया। बहस पर मनन तथा दस्तावेजों का वलोकन किया गया। जमाबन्दी संवत 2054–57 तथा 2058–61 के अवलोकन से णितीय त्रुटि दर्ज किया जाना प्रतीत होता है। जब नामा0 सं0 97 दिनांक 31.7.98 से 4/5 हिस्से का बेचान कर दिया गया था तो जमाबन्दी 2058–61 में पुत्र छीता बाई पुत्री देवा का 1/5 हिस्से क्यो और कैसे दर्ज हुआ यह साक्ष्य का विषय है जिसके लिए विचारण आवश्यक है। पंजीकृत विक्रय पत्र में भी भूमि के 4/5 हिस्से के बेचान का तथ्य है। प्रार्थी या अप्रार्थी 1 व 2 ने स्वयं को गोपाल के वारिस बताकर दावा व प्रतिदावा दायर किया है। यह इस चरण में निर्णय नहीं किया जा सकता। वारिसान चाहे जो भी हो यह दावे में निर्णय साक्ष्य के आधार पर किया जा सकेगा परन्तु राजस्व अभिलेख के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला गोपाल के वारिसो के पक्ष में है। छीता बाई के अभिलेख में नाम दर्ज होने से यदि सम्पत्ति का हस्तातंरण किया जाता है तो गोपाल के वारिसान को अपूरणीय क्षति कारित हो सकती है। सुविधा संतुलन भी गोपाल के वारिसों के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। इसलिए न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 30.04.2010 को मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक Confirm सम्पुष्ट किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
फास्ट–ट्रेक इटावा